Bihar State Power Transmission Company Limited, Patna

(Regd. office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
(Department of civil of BSPTCL)

पत्रांक ——————————/ दिनांक——————————/

प्रेषक,

भास्कर शर्मा
निदेशक(परियोजना),

सेवा में,

मुख्य अभियंता (असैनिक)
मुख्य अभियंता(परियोजना Iएवं II),
महा प्रबंधक सह– मुख्य अभियंता
पटना/मुजफ्फरपुर
बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

विषयः– **ग्रिड सब–स्टेशनो में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित चहारदिवारी की ऊँचाई FGL(Formation ground level) से 5 फीट तक सीमित रखने के संबंध में।**

महाशय,

विदित हो कि सभी ग्रिड सब–स्टेशनों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पक्का चहारदिवारी का निर्माण किया जाता है जिसकी ऊँचाई ग्रिड सब–स्टेशनों के भीतर FGL(Formation ground level) से 8 फीट रखा जाती है एवं उसके ऊपर 3 फीट Barbed Wire fencing किया जाता है।

निकट में निरीक्षणों के दौरान पाया गया कि FGL(Formation ground level) से चहारदिवारी की पक्का ऊचाई 8 फीट रखे जाने पर बाहर से चहारदिवरी की ऊँचाई बहुत अधिक हो जाती है जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः निदेशानुसार सम्यक विचारोपरांत सभी ग्रिड सब–स्टेशनों के निर्माणधीन एवं प्रस्तावित चहारदिवरी की ऊचाई में FGL(Formation ground level) से पक्का ऊँचाई 5 फीट एवं 3 फीट Barbed Wire fencing करने का निर्णय लिया गया।

उपयुर्क्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि:–

(i) सभी ग्रिड सब–स्टेशनों के प्रस्तावित चहारदिवारी की ऊचांई FGL(Formation ground level) से 5 फीट तक रखी जाय।
(ii) Brick work के ऊपर Y Shape में Barbed Wire Fencing का प्रावधान किया जाय जिसकी ऊचाई 3 फीट हो।
(iii) यदि ग्रिड सब स्टेशनों के FGL(Formation ground level) एवं चहारदिवारी के बाहर NGL(Natural ground level) का level Difference 1 फीट या उससे कम हो तो ऐसी स्थिति में कुल पक्का ऊँचाई 6 फीट रखी जाय तथा Barbed Wire Fencing 2 फीट की जाय ताकि कुल ऊचाई 8 फीट प्राप्त हो जाय।
(iv) निर्माणाधीन चहारदिवारी की पक्का ऊँचाई यदि 5 फीट से ऊपर एवं 8 फीट के अन्दर हो तो उसकी ऊँचाई को वही पर सीमित किया जाय तथा Turnkey Project मे संवेदको के विपत्र से समानुपातिक राशि कटौती कर ली जाय।

उपर्युक्त के आलोक में चहारदिवारी की ऊँचाई के सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी आदेशो को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा निदेश दिया जाता है कि जो भी Project तैयार किये जा रहे है उसमें DPR में उपर्युक्त कंडिका 1से 3 का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय ताकि उपयुक्त निदेशो का पालन सुनिश्चित जा सकें।

ह0/–

(भास्कर शर्मा)
निदेशक(परियोजना)

ज्ञापाकः——————————————/ दिनाक——————————————/

प्रतिलिपि– सभी विद्युत अधक्षण अभियंता /सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक),/सभी सहायक अभियंता (असैनिक)/सभ विद्युत सहायक अभियंता,संचरण जोन, मुजफ्फरपुर एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपर्युक्त निदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
(भास्कर शर्मा)
निदेशक(परियोजना)

ज्ञापांकः 165 / दिनांक 20-05-2016/

प्रतिलिपि– उपमहाप्रबंधक (IT), **BSPTCL PATNA,** को सूचनार्थ एवं कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित निदेश दिया जाता है कि कंपनी के समुचित साइट अपलोड कर दिया जाय ताकि अनुपालन हेतु सभी को इसकी जानकारी दी जाय।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक(परियोजना)